प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तम्भ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:–

तालिका

क्र0सं0	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
2.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
		शून्य	मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्ततु की जाती है।''।

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2020 dated 23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 31/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this

notification referred to as the said Act), read with Section 148 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendment in notification of the Government of Himachal Pradesh, No.13/2017–State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-14/2017, dated the 30th June, 2017, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return alongwith payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:—

Table

Sl. No.	**Class of registered persons**	**Rate of interest**	**Tax period**	**Condition**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 percent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 29th day of June, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
			March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 6th day of July, 2020.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order,
Jagdish Chander Sharma,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 32 / 2020–राज्य कर

शिमला–2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–4 / 2020.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 76 / 2018–राज्य कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2018, जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई0 एक्स0एन0–एफ(10)–33 / 2018 दिनांक 04 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"परन्तु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो कि निम्न तालिका के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, और जो नियत तारीख तक **प्ररुप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलम्ब फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि हैः–

तालिका

क्र. सं. (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	शर्त (4)
1.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररुप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1. 5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररुप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररुप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1. 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि **प्ररुप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है